बिजली की जितनी आवश्यकता है वह तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि आप इसमें प्राईवेट सैक्टर को इन्वाल्व नहीं करेंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राईवेट सैक्टर के जरिए से 17586 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य था। लेकिन आपका जो कुल जेनरेशन हुआ है वह 5061 मेगावाट हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आपने क्या लक्ष्य रखा है ? क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्राईवेट पावर प्रोजेक्ट के बारे में चिंता जताई है और वह सत्य है। नाइंथ प्लान में हमारा 17000 मेगावाट का लक्ष्य था, लेकिन हम केवल 5000 मेगावाट का ही लक्ष्य पूरा कर पाये हैं। टैंथ प्लान में इसे देखते हुए 41000 मेगावाट का लक्ष्य तय किया है और उसमें प्राईवेट सैक्टर से केवल 7000 मेगावाट का टारगेट हमने तय किया है।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA : Sir, during April-December, 2002, Rajasthan faced a power shortage of 81 per cent, Madhya Pradesh 14 per cent, Maharashtra 13 per cent and Karnataka 11 per cent. I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to link the eastern region, which has surplus capacity, with the northern and southern regions, which are facing power shortage.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, ईस्टर्न रीजन में जो सरप्लस बिजली है उसे सदर्न रीजन के लिए ले जाने के लिए आलरेडी तालचर से कोलार ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। लगभग सात सौ मेगावाट बिजली आज हम ईस्टर्न रीजन से सदर्न रीजन में ले जा रहे हैं। कोलार से सदर्न रीजन के जो चारों स्टेट्स हैं वहां से उनको बिजली दी जाती है।

Criminal cases against IAS/IPS Officers

*643. SHRI SWARAJ KAUSHAL : Will the Minister of PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS be pleased to state :

(a) the number of IAS and IPS officers against whom criminal cases are pending, State-wise;

(b) the number of IAS and IPS officers in jail in each State;

(c) the number of IAS and IPS officers on bail; and

(d) the State-wise list of IAS and IPS officers absconding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI HARIN PATHAK) :

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House on the basis of information received from the State Governments, Central Bureau of Investigation and as available with the Central Government.

Statement

State/Cadre	No. of officers involved in criminal cases		No. of officers in Jail		No. of officers on bail		No. of officers absconding	
	IAS	IPS	IAS	IPS	IAS	IPS	IAS	IPS
AGMUT	9	2	1	Nil	2	Nil	Nil	Nil
Andhra Pradesh	3	Nil	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Assam-Meghalaya	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Bihar	5	8	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chhattisgarh	6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Gujarat	3	10	Nil	Nil	Nil	2	Nil	Nil
Haryana	4	7	2	2	2	3	Nil	Nil
Himachal Pradesh	1	1	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Jharkhand	10	1	Nil	Nil	2	Nil	Nil	Nil
J & K	2	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Karnataka	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Kerala	8	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Madhya Pradesh	5	2	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Maharashtra	5	2	Nil	Nil	Nil	2	Nil	Nil
Manipur-Tripura	1	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Orissa	3	6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punjab	3	3	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Rajasthan	2	Nil	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Sikkim	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Tamil Nadu	9	10	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Uttar Pradesh	9	6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Uttaranchal	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
West Bengal	1	5	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
TOTAL	93	64	3	2	12	7	Nil	Nil

SHRI SWARAJ KAUSHAL : Sir, I find from the statement of the Minister that 157 IAS and IPS officers are involved in criminal cases. May I know from the hon. Minister out of these IAS and IPS officers, how many IAS and IPS officers have been given a posting and how many of them are actually working?

SHRI HARIN PATHAK : Sir, the procedure is very clear. As per rule 3(2) of the All India Services Rules, if an officer is arrested and kept in custody for more than 48 hours, he shall be deemed to be suspended. जो सस्पेंडिड हैं, उनको नौकरी में लेने का सवाल नहीं है। जो जेल में हैं, उन्हें नौकरी पर लेने का सवाल नहीं है। इन्वेस्टीगेशन का स्टेज आता है, before aresting an officer and prosecuting him and then any imprisonment is given to him by the court. इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर किसी अधिकारी को राज्य ने नौकरी पर लिया है या नहीं लिया है.... । उसके आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य से संबंधित पूरा विषय है। जो केन्द्र सरकार से संबंधित है, उसके लिए तीन आईएएस अफसर और दो आईपीएस, जैसा मैंने कहा जेल में हैं और सस्पेंशन में हैं।

श्री स्वराज कौशल : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इसमें से जो 152 अधिकारी हैं, या जो कुल 157 अधिकारी हैं, उनमें से कितने करप्शन के लिए प्रोसीक्यूट हो रहे हैं, कितने मर्डर केसिज़ हैं, उसका सीरियस ओफैंसिज़ के अनुसार क्लासीफिकेशन क्या है ?

श्री सभापति : अगर है तो बता दीजिए।

उपप्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, ये जितने सारे केसिज़ करप्शन के हैं, मैजोरिटी जो हैं, ओवरवैल्मिंग करप्शन के केसिज़ हैं। जिसको क्रिमिनल कह सकते हैं, जो ओवर ऑल फिगर है, वह यह है The percentage of officers involved in criminal charges comes to about 1.75 per cent. The rest are all under charges of corruption. बाकी कुछ मर्डर वगैरह के भी केसिज़ हैं वह जो हैं, It is a small percentage.

श्री राजनाथ सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो सारे पैंडिंग केसिज़ हैं, इन पैंडिंग केसिज़ को ऐक्सपेडाइट करने के लिए और दूसरे केसिज़ के स्पीडी डिसपोज़ल के लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरिन पाठक : महोदय, विनीत नारायण के केस के जजमेंट के बाद यह तय किया गया है कि जितने भी केसिज़ पैंडिंग हैं जिनमें Approval for sanction for prosecution is required. तीन महीने के अंदर अंदर विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न विभागों को उन्हें अप्रूवल फार सैंक्शन फॉर प्रॉसीक्यूशन देना चाहिए। जहां पर कानूनी सलाह की आवश्यकता हो, वहां पर एक महीना और, यानी ज्यादा से ज्यादा चार महीने के अंदर प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन की सारी फॉरमैलिटीज़

कम्पलीट करनी होती हैं। उसके साथ-साथ पीएमओ, कैबीनेट सैक्रेटरिएट, मिनिस्टरी परसोनल, सीबीआई-ये सारी संस्थाएं रैग्यूलरली इस पर मॉनिटरिंग करती रहती हैं, रिव्यू करती रहती हैं। 20 फरवरी, 2003 को कैबीनेट सैक्रेटरी के यहां एक मीटिंग की गयी जिसमें करीब 106 केसिज ऐसे थे जो उन्होंने क्लीयर किए जिनका बाद में 31 मार्च को राज्यों में डिसपोजल हुआ। यह पूरी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत for monitoring and reviewing, the maximum time limit is three months. If legal advice is required, then one more month is given to them.

श्री रमा शंकर कौशिक : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि केवल तीन अधिकारी हैं जो केन्द्र से संबंधित हैं। उनकी पोस्टिंग के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न के साथ सभी सूबों से जो वस्तुस्थिति है, उसका पता लगा लेना चाहिए था। काफी समय से यह प्रश्न पड़ा हुआ था, उस प्रश्न का जबाव आ सकता था। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी आपराधिक मामले हैं, ये कितने साल पुराने मामले हैं, कृपया यह बताएं और कितने मामलों में क्या क्या प्रगति प्रॉसीक्यूशन के मामले में हो रही है।

श्री हरिन पाठक : महोदय, जैसा मैंने बताया कि 186 मामले अभी लम्बित हैं और आईएएस में 84 मामले ऐसे हैं जो करप्शन से संबंधित हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : कितने समय से पैंडिंग हैं।

श्री हरिन पाठक : मैंने अपने उत्तर में शुरुआत में कहा है कि We have to collect the information from the CBI, from the State Governments about all these cases; regarding their investigations, prosecutions and punishment. (*Interruptions....*) I will collect the information.

श्री सभापति : इस समय आपके पास इनफार्मेशन नहीं है।

श्री हरिन पाठक : मैं यह सब कलैक्ट करके उन्हें दे दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री प्रेम गुप्ता : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : देखिए, आज आप इनकी जगह होते और यही प्रश्न आपसे करते तो जबाव यही मिलता। **(व्यवधान)**

श्री प्रेम गुप्ता : महोदय, हम जबाव का नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : गुप्ता जी, एक मिनट आप बैठ जाइए। मंत्री जी, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा कि कोई absconding नहीं है। Are you sure?

श्री हरिन पाठक : जो जबाव मेरे पास है, उसमें जब तक कोर्ट उसको absconding जाहिर नहीं करता तब तक उसको absconding नहीं माना जाता है। आज मेरे पास जो इनफॉर्मेशन है, जो राज्यों और केन्द्र से मिली है, उसमें कोई absconding नहीं है। –(**व्यवधान**)–

श्री प्रेम गुप्ता : मान्यवर, इस पर आधे घंटे का डिसकशन करा लीजिए।

श्री सभापति : सुन लीजिए –(**व्यवधान**)–आप नियम जानते हैं। आधे घंटे के डिसकशन के लिए मैं इस समय फैसला नहीं दे सकता। –(**व्यवधान**)– यह गलत बात है। –(**व्यवधान**)–

श्री प्रेम गुप्ता : आज कितने आई.ए.एस. और आई.पी.एस. –(**व्यवधान**)–

श्री सभापति : मैं एक बात बताऊं आपको। आप तो नियम जानते हैं। आधे घंटे का डिसकशन करने के लिए नियम बने हुए हैं। आप नियमों के तहत मुझे नोटिस दे दीजिए, मैं विचार करूंगा। –(**व्यवधान**)–

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मुझे आधा घंटा नहीं, केवल आधा मिनट चाहिए।

श्री लालू प्रसाद : सर, बिजनेस एडवाज़री कमेटी में हम डिसकस कर लेंगे। –(**व्यवधान**)–

श्री सभापति :आप पहले उस रूल के अंतर्गत मुझे नोटिस भेज दीजिए। –(**व्यवधान**)–

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मेरे सामने एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री सभापति : मैं एलाऊ नहीं करूंगा, किसी को एलाऊ नहीं करूंगा, बिलकुल नहीं।

*644. [The questioners (Shri Ram Jethmalani, Shri Kapil Sibal) were absent. For answer *vide* page ....35....*infra*].

*645. [The questioner (Shri Anil Sharma) was absent. For answer *vide* page ....36....*infra*].

Suggestions of Members of Rajya Sabha in PMGSY

*SHRI H.K. JAVARE GOWDA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) details of the new guidelines for roads under PMGSY schemes;

(b) whether, the Rajya Sabha Members can suggest the road works under PMGSY schemes in their given nodal districts,

(c) if so, whether directions have been issued in that connection;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether any recommendation/suggestion of Rajya Sabha Members has been ignored in Karnataka;